(1)

(54)

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक / /निगरानी / भू.रा. / शहडोल / 2018 निगरानी/6099/2018/शहडोल/भू.रा.

1. अब्दुल गफ्फार, आत्मज करामत
2. मौ. इकरार आत्मज अब्दुल गफ्फार
3. आफाक मौहम्मद, आत्मज अब्दुल गफ्फार
4. मौहम्मद इसहाक आत्मज अब्दुल गफ्फार
5. अनवर पुत्र अब्दुल गफ्फार
6. जुम्मन पुत्र अब्दुल गफ्फार

समस्त निवासीगण रीजनल अस्पताल के पास, धनपुरी, वार्ड क्रमांक 1 थाना बुढार, तहसील सोहागपुर, जिला शडडोल (म.प्र.)

.... आवेदकगण

दिनाँक 16.10.18 को श्री प्रदीप श्रीवास्तव अभि० द्वारा प्रस्तुत।

पे०दि० 22-10-18 16.10.18 SD

विरुद्ध

1. अब्दुल सत्तार, आत्मज बौरा मुसलमान
2. गुलाम मोहम्मद, आत्मज बौरा मुसलमान
3. अब्दुल बाहिद आत्मज बौरा मुसलमान

समस्त निवासीगण रीजनल अस्पताल के पास, धनपुरी, वार्ड क्रमांक 1 थाना बुढार, तहसील सोहागपुर, जिला शडडोल (म.प्र.)

.... अनावेदकगण

निगरानी अंतर्गत धारा-50 म.प्र.भू.रा.सं. 1959 विरुद्ध आदेश दिनांक 26.7.2018 जिसे अपर आयुक्त संभाग शहडोल ने अपने यहां के प्रकरण क्रमांक 355/अपील/2012-13 में पारित किया।

माननीय महोदय,

आवेदकगण की निगरानी निम्न तथ्यों एवं आधारों पर प्रस्तुत कर निवेदन करते हैं।

प्रकरण के तथ्य

1. यहकि, रेस्पोंडेंट अब्दुल सत्तार ने आवेदक व रेस्पोंडेंट क्रमांक 2 व 3 तथा स्व. शहीदन की है ...

(2)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ
भाग–अ

निगरानी–6099 / 2018 / शहडोल / भू0रा0.

अब्दुल गफ्फार आदि विरूद्ध अब्दुल सत्तार

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
23–10–18	आवेदक की ओर से अभिभाषक श्री प्रदीप श्रीवास्तव उपस्थित। उन्हें ग्राहयता के बिन्दु पर सुना गया। 2/ यह निगरानी अपर आयुक्त शहडोल संभाग, शहडोल के प्रकरण क्रमांक 355/अपील/2012–13 में पारित आदेश दिनांक 26–07–2018 के विरूद्ध इस न्यायालय में म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। 3/ आवेदक अधिवक्ता के तर्कों के परिप्रेक्ष्य में आलोच्य आदेश की सत्यापित प्रति एवं प्रकरण का अवलोकन किया गया। प्रश्नाधीन आदेश की सत्यापित प्रति के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक द्वारा अनावेदक की भूमि पर अवैध कब्जा कर निर्माण कार्य किया गया है, जिसे हल्का पटवारी एवं अतिरिक्त तहसीलदार बुढ़ार द्वारा स्वयं स्थल का निरीक्षण कर नाप कराई गई, जिसमें प्रश्नाधीन भूमि अनावेदक के भूमिस्वामित्व एवं कब्जे दखल की पाई जाने के कारण अतिरिक्त तहसीलदार ने आदेश दिनांक 29–03–2007 को बेदखली के आदेश दिये, जिसे अनुविभागीय अधिकारी सोहागपुर एवं अपर आयुक्त शहडोल द्वारा भी स्थिर रखा गया है। तीनों अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष होने से उसमें हस्तक्षेप के आधार प्रकट नहीं होते । 4/ दर्शित परिस्थितियों में निगरानी आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है। पक्षकार सूचित हो। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो। (आर.के. जैन) 23/10/18 सदस्य	

C.M